Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **चित्तौड़गढ़ में सरपंच 2 लाख 40 हजार रूपये रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *01 दिसम्बर, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर चित्तौड़गढ़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये संजय सुखवाल उर्फ संजू सरपंच, ग्राम पंचायत जाड़ाना, तहसील राश्मी, जिला चितौडगढ़ को परिवादी से **2 लाख 40 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की चित्तौड़गढ़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके कब्जाशुदा भूखण्ड का पट्टा जारी करने की एवज में संजय सुखवाल उर्फ संजू सरपंच, ग्राम पंचायत जाड़ाना, तहसील राश्मी, जिला चितौडगढ़ द्वारा **3 लाख 40 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी की चित्तौड़गढ़ इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कैलाश सान्दू** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये संजय सुखवाल उर्फ संजू निवासी ग्राम जाड़ाना, तहसील राश्मी, जिला चित्तौड़गढ़ हाल सरपंच, ग्राम पंचायत जाड़ाना, तहसील राश्मी, जिला चितौडगढ़ को परिवादी से **2 लाख 40 हजार रूपये** रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी सरपंच द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से **1 लाख रुपये रिश्वत** के रूप में वसूल किये जा चुके थे, जिनको एसीबी टीम द्वारा बरामद किये जाने के प्रयास जारी है। आरोपी सरपंच द्वारा हाल ही में जारी किये गये अन्य पट्टों के संबंध में भी एसीबी द्वारा जाँच की जा रही है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।